न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 44/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/208

अपीलान्ट

श्रीमती निशा पत्नी लुम्बाराम पुत्री भीकाराम जाति सिरवी निवासी मकान नम्बर 69 हरे कृष्ण सोसायटी रिंगरोड सूरत (गुजरात)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. डगरीदेवी पत्नी भीकाराम जाति सिरवी निवासी चौधरियों का बास गोपावास वाया राणावास पोस्ट ठाकुरवास तहसील मा0ज0 जिला पाली
2. संदीप पुत्र भीकाराम जाति सीरवी निवासी चौधरियों का वास गोपावास वाया राणावास पोस्ट ठाकुरवास तहसील मा0ज0 जिला पाली
3. नायब तहसीलदार मा0ज0
4. तहसीलदार(भु.अ)मा0ज0, तहसील मा0ज0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोरसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22-2-2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मा0ज0 द्वारा ग्राम गोपावास पटवार हल्का चिरपटिया के नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 31.05.1999 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गोपावास पटवार हल्का चिरपटिया में खसरा नम्बर 13 रकबा 37.19 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 24.02 बीघा, खसरा नम्बर 18 रकबा 25.15 बीघा, खसरा नम्बर 19 रकबा 15.02 बीघा, खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 02.16 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 10 बिस्वा कुल 8 खसरा रकबा 117.09 बिघा भूमि आई हुई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपीलार्थी की माता एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अपीलार्थी का भाई है। भीकाजी पुत्र दौला जी के रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के साथ अपीलार्थी भी प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी है। जैर आराजी में अपीलार्थी के पिता भीकाजी एंव भीका जी के भाई जोधाजी का सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा था, इस प्रकार अपीलार्थी के पिता भीकारामजी का 1/6 हिस्सा आता है जो अपीलार्थी के पिता भीकाराम जी की खातेदारी भुमि है। दिनांक 04.10.1997 को अपीलार्थी के पिता भीकाराम जी का देंहात होने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में अपीलार्थी एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का जैर आराजी पर समान हक अधिकार है एवं अपीलार्थी का जैर आराजी के 1/8 भाग अपीलार्थी के हिस्से में आता है, जिसके संबध में अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 को उसके हिस्से की जमीन का बंटवारा करने का निवेदन करने पर रेस्पोडेण्टगण ने यह कह कर हिस्सा देने से मना कर दिया की तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए जैर आराजी पर तुम्हारा कोई हक अधिकार नही है ओर रेस्पोडेण्टगण ने भीकाराम के फौत हो जाने के उपरान्त अपीलार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित रखते हुए जैर आराजी का अपने नाम से नामान्तरकरण भरवा दिया, जिसके संबध में अपीलार्थी ने दिनांक 11.10.2021 को जैर अपील नामान्तरकरण की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर जानकारी होने पर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर, पाली

की। अपीलार्थी भीकाराम जी के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के समान अपीलार्थी भी भीकाराम की संम्पति में समान हक अधिकार रखती है, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने भीकाराम के विधिक उत्तराधिकारियों की जाचं किये बगैर जैर अपील नामान्तरकरण पारित कर दिया जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 31.05.1999 को खारिज करवाने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपलार्थी निशा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुत्री एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की बहन है। अपीलाधीन म्यूटेशन पारित होते समय सहवन से अपीलार्थी का नाम वादग्रस्त म्यूटेशन संख्या 52 में दर्ज करने से रह गया था यदि अब उसका नाम राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट के पिता श्री भीकाराम के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 31.05.1999 को दर्ज किया गया, अपीलार्थी भीकाराम की जाईन्दा संतान है जो भीकाराम के फौत होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के समान हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा जैर अपील आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के समान हक अधिकार रखती है। जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन हल्का पटवारी ने भीकाराम के विधिक वारिसान की बिना जांच किये एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलाण्ट को छोड़कर उसकी माता व भाई के नाम जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम गोपावास के नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 31.05.1999 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे भीकाराम के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करनें की कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली